दिनांक 07.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 07/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

बॉलीवुड अभिनेत्री, पूर्व मिस वर्ल्ड एवं यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर प्रियंका चोपड़ा जोन्स द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/1090 का भ्रमण

भारत की जानी मानी अभिनेत्री, पूर्व मिस वर्ल्ड व यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर श्रीमती प्रियंका चोपड़ा जोन्स द्वारा आज दिनांक 07.11.2022 को उ0प्र0 पुलिस की महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (वीमेन पावर लाइन–1090) का भ्रमण किया गया।

भ्रमण के दौरान श्रीमती नीरा रावत (आई.पी.एस.), अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा 1090 की कार्य प्रणाली को विस्तार से बताया व समझाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एवं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गयी।

प्रियंका चोपड़ा द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए सभी अधिकरियों व कर्मचारियों से गहन चर्चा की गयी । एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा प्रियंका चोपड़ा को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा अपनायी जा रही कार्यपद्धति, नये प्रयासों, टेक्नालॉजी का उपयोग कर महिला पीड़ितों तक पहुॅच बनाने एवं प्रदेश में महिलाओं व बच्चों की स्थिति में आ रहे सकारात्मक बदलाव के बारे में संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया गया, साथ ही संगठन द्वारा किशोर न्याय (Juvenile Justice) व मानव तस्करी (Human Trafficking) के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त उनको उ0प्र0 सरकार द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान एवं स्वालम्बन के लिए चलाये जा रहे ''मिशन शक्ति'' पर एक लघु फिल्म दिखायी गयी तथा अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।

प्रियंका चोपड़ा द्वारा यहां की कालटेकर्स के धैर्य से शिकायतों को सुनने, काउन्सलिंग, फीडबैक, ऑनलाइन फेमिली काउन्सलिंग सिस्टम तथा 1090 द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण विशेषकर बच्चों व ट्रैफिकिंग की दिशा में किये जा रहे प्रयासों

तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित ''मिशन शक्ति'' विशेष अभियान की भूरि–भूरि प्रशंसा के साथ ही 1090 द्वारा संचालित विभिन्न सामुदायिक जन–जागरूकता कार्यक्रमों व इस दिशा में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी सराहना की गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा प्रियंका चोपड़ा को लखनऊ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया तथा उनके द्वारा 1090 परिसर में बनाये गये पिंकबूथ व पिंक टायलेट का भी निरीक्षण कर उसकी सराहना की गयी।

इस अवसर पर शहर के समाजसेवी, शिक्षाविद एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति सहित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (1090) व यूनिसेफ के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

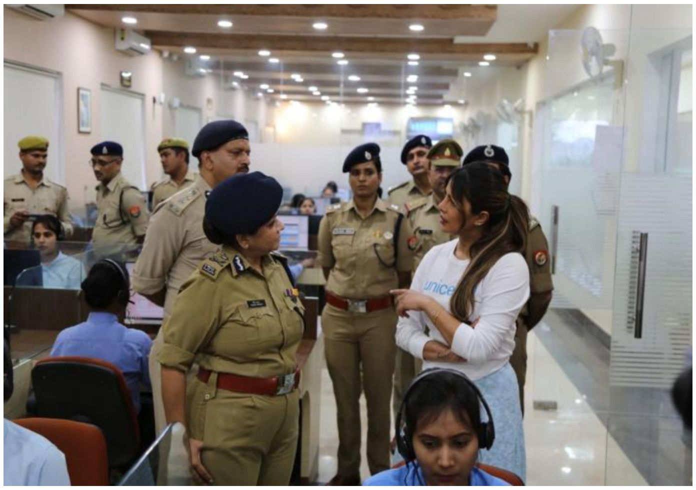

unicef

जनपद रायबरेली/थाना ऊँचाहार

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 07.11.2022 को थाना ऊँचाहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 हासिम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना ऊँचाहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–193/2000 धारा 376/452 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ऊँचाहार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 हासिम निवासी ग्राम बहेरवा थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।

जनपद रायबरेली/थाना ऊँचाहार

25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनॉकः 07.11.2022 को थाना ऊँचाहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से लवकुश उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना ऊँचाहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–549/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ऊँचाहार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लवकुश उर्फ मोनू निवासी ग्राम बमरौली थाना पूरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज।

जनपद मैनपुरी/थाना बिछवां

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस**
- **01 वैगनार कार बरामद**

दिनांक 07.11.2022 को थाना बिछवां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दलीपपुर रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इशत्याक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 वैगनार कार बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा, मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मैनपुरी से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिछवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इशत्याक निवासी नदराला जसरथपुर जनपद एटा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

2–01 वैगनार कार।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद/थाना मुरसान

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **लूट/चोरी की 04 मोटर साइकिल**
- **लूट के माल बिक्री के 15 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.11.2022 को थाना सादाबाद थाना मुरसान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहादुरपुर भूप खण्डहर से 05 शातिर अभियुक्तों 1–पुष्पेन्द्र उर्फ नहना 2–कृष्णा उर्फ गौरव 3–मनोज उर्फ मोनू 4–सनी 5–राजीव को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने के आभूषण, लूट/चोरी की 04 मोटर साइकिल, लूट के माल बिक्री के 15 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोटर साइकिल, रूपया लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ नहना के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त कृष्णा उर्फ गौरव के विरूद्ध जनपद हाथरस, मथुरा के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त मनोज उर्फ मोनू के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त सनी के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानो में लूट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त राजीव के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानो में लूट, आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पुष्पेन्द्र उर्फ नहना निवासी पूरना थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

2—कृष्णा उर्फ गौरव निवासी फरसौटी थाना मुरसान जनपद हाथरस।

3—मनोज उर्फ मोनू निवासी नगला परता थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

4—सनी निवासी वेसमा थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

5—राजीव निवासी वेसमा थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2—लूट/चोरी की 04 मोटर साइकिल।

3—लूट के माल बिक्री के 15 हजार रूपये नगद।

4—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना औरंगाबाद

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 03 लाख 10 हजार रूपये कीमत के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 8800/—रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 06/07.11.2022 को थाना औरंगाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईलना नहर पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1— आसिफ

2–दानिश 3–प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 03 लाख 10 हजार रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 8800/–रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आसिफ व दानिश के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना औरंगाबाद पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत हैं। दिनॉकः 01.11.2022 को थाना औरंगाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर मु0अ0सं0–327/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये, मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आसिफ निवासी मोहल्ला बढई कस्बा अमरगढ थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर हालपता–जाकिर कालोनी पिपलेड़ कस्बा व थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

2–दानिश निवासी नई आबादी मुकतरा वाली गली कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

3–प्रमोद कुमार निवासी बादशाहनगर थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 03 लाख 10 हजार रूपये कीमत के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 8800/–रूपये नगद।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लाख 12 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.11.2022 को थाना गुलावठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकन्द्राबाद फलाईओवर के पास से 03 अभियुक्तों 1–सुरजपाल 2–अरूण 3–मोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 लाख 12 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.08.2022 को थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर मु0अ0सं0 285/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुरजपाल निवासी कृष्णा बिहार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़।
2–अरूण निवासी कृष्णा बिहार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़।
3–मोनू निवासी कृष्णा बिहार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़, स्थाई पता जयपुर राजस्थान।

बरामदगी

1–01 लाख 12 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

- **जनपद मथुरा/थाना मांट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे–7 जनपद मथुरा द्वारा थाना मांट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमरपाल को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना बेलीपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष पॉस्को कोर्ट संख्या–1 जनपद गोरखपुर द्वारा थाना बेलीपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(डी) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कुन्दन 2–छोटकू को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार, 2.200 किग्रा स्मैक (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपये) बरामद।

दिनांक 06–11–2022 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.22 किलोग्राम स्मैक (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1. जोनी उर्फ जावेद पुत्र महावीर, नि0 पटना नया बास, थाना चिलकाना, सहारनपुर।
2. तौहिद पुत्र असलम नि0 ग्राम गठेडा, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर।
3. सुरेन्द्र पुत्र सरजीत, नि0 कुतुबपुर लखडौला, थाना नागल, जनपद सहारनपुर।

बरामदगीः

1– 02.22 किलोग्राम स्मैंक (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपये)

2– 01 कैण्टर अशोक लीलेण्ड नं0– यूपी–11 एटी–5390

3– 03 अदद मोबाईल फोन

4– 3150/– रूपये नगद

गिरफ्तारी का स्थान व समय

स्थानः सापला तिराहा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर दिनांकः 06–11–2022, समयः 23. 45 बजे।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी कम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट मेरठ से निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विनित चौधरी, हे0कां0 प्रमोद कुमार, जोशी राणा, कान्स0 दीपक कुमार एवं विकास धामा की टीम जनपद सहारनपुर में मौजूद थी, इसी दौरान सूचना मिली कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले कुछ लोग बरेली जनपद से स्मैक लेकर देवबन्द थाना क्षेत्र के सांपला रोड तिराहा के पास कैन्टर गाड़ी से आने वाले है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा थाना देवबन्द के उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी को साथ लेकर दबिश देकर तीनों तस्करो को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि हम लोग बरेली निवासी अशफाक से स्मैक लाकर सहारनपुर जिले में इसकी सप्लाई करते है। चालक सुरेन्द्र ने बताया कि यह कैन्टर मेरा है, जिससे मैं इन लोगो के लिए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करता हूँ। इस काम के लिए मुझे एक चक्कर का 45 हजार रूपये मिलता है। इसके पूर्व भी 2–3 बार बरेली से स्मैक ला चुका हूँ।

इसी क्रम में एसटीएफ मेरठ द्वारा दिनांक 02–11–2022 को भी जनपद बरेली से स्मैक की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों को 01.500 किलोग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 692/2022 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–भारतीय जाली मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार, रू0 1,95,500/– भारतीय जाली मुद्रा बरामद।

दिनांक 07–11–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को भारतीय जाली मुद्रा की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारतीय जाली मुद्रा रू0 1,95,500/– बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1– उमाशंकर बिन्द पुत्र स्व0 राम आधार बिन्द, निवासी ग्राम हेमपुर, थाना माण्डा, जनपद प्रयागराज।

2– राम बाबू बिन्द पुत्र स्व0 राम लाल, निवासी ग्राम गोगांव, थाना जिगना, जनपद मिर्जापुर।

बरामदगी :–

1– कुल रू0 1,95,500/– भारतीय जाली मुद्रा (रू0 2000/–के 49 जाली नोट रू0 98,000/–500/– के 195 जाली नोट रू0 97,500/–

2– 01 अदद आधार कार्ड।

3– 03 अदद मोबाइल।

4– 02 अदद मोटर साइकिल।

5– नकद 330/– रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय :–

माण्डा रोड तिराहे से 500 मीटर आगे मिर्जापुर जाने वाली सड़क, थाना क्षेत्र माण्डा, जनपद प्रयागराज, दिनांक 07–11–2022, समय 15:40 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को सूचना प्राप्त हो रही थी कि भारत–बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भारतीय जाली मुद्रा का संचरण हो रहा है तथा वहॉ से जाली मुद्रा को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं ठोस कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 07–11–2022 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मु0आरक्षी अमित कुमार शर्मा, विकास तिवारी, आरक्षी अजय सिंह यादव, सन्तोष कुमार, पंकज तिवारी, अजय कुमार यादव, सोनू, किशनचन्द्र व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की एक टीम थाना माण्डा क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मौजूद थी इसी दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को माण्डा रोड तिराहे से 500 मीटर आगे मिर्जापुर जाने वाले सड़क के किनारे समय लगभग 15:40 बजे एक बारगी दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त उमाशंकर बिन्द उपरोक्त ने बताया कि मैं ग्राम हेमपुर, थाना माण्डा, जनपद प्रयागराज का मूल निवासी हूॅ। मुख्य रूप से वर्ष 1996 से मैं ट्रक चालक का काम करता हूॅ। वर्ष 2016 में गॉव के ही रहने वाले मेवालाल बिन्द की हत्या के मामले में जिला कारागार, नैनी में निरूद्ध रहा, जहॉ मेरी मुलाकात अच्छेलाल चौरसिया, कपूर चन्द्र

जायसवाल व नकली नोट के माफिया दीपक मण्डल के रिश्तेदार सुभाष मण्डल व बहनोई विश्वजीत सरकार से हुई जहॉ उन लोगों द्वारा मुझे नकली नोटों के कारोबार में शामिल होने का लालच दिया गया। जेल से अप्रैल 2022 में जमानत पर रिहा होने के बाद मैंने सुभाष मण्डल से सम्पर्क किया, जो मुझसे पहले ही जेल से छूट चुका था। सुभाष मण्डल से मुलाकात करने के लिये मैं माह जुलाई में पश्चिम बंगाल गया और सुभाष मण्डल से 50 हजार रूपये के नकली नोट लेकर वापस आया, जिसे अपने स्थानीय बाजार में खपा दिया। मैं पुनः माह अगस्त में पश्चिम बंगाल कालिया चक गया और 01 लाख रूपये के नकली नोट लेकर जिसमें से 50 हजार रूपये अपने भतीजे रामबाबू को दिया और हम दोनों लोग अपने–अपने स्थानीय बाजार में नकली नोटों को खपा दिये। इसके बाद मेरे अन्दर लालच और अधिक बढ़ जाने के कारण मैं पुनः दिनांक–02.11.2022 को पश्चिम बंगाल से 02 लाख रूपये लेकर दिनांक 04.11.2022 को वापस आया, जिसमें से 4500/– रूपये अपने स्थानीय बाजार में खर्च कर दिया तथा अपने रिश्तेदार रामबाबू बिन्द से 40 हजार रूपये सुभाष मण्डल, निवासी जयनपुर, जनपद मालदा, पश्चिम बंगाल के एकाउन्ट में मैंने डलवाया एवं इसके एवज में आज ही 80 हजार रूपये मैंने रामबाबू बिन्द को दिया।

अभियुक्त रामबाबू बिन्द उपरोक्त ने बताया कि मैं ग्राम गोगांव, थाना जिगना, जनपद मिर्जापुर का मूल निवासी हूँ। मैं वर्ष 2013 से अनुदेशक के पद पर अपने ही गॉव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोगांव में कार्यरत् हूँ। पकड़े गये उमाशंकर बिन्द रिश्ते में मेरे सगे फूफा है, जो जेल से निकलने के बाद नकली नोटों का कारोबार करने लगे, जिनसे बातचीत के दौरान यह जानकारी हुई कि नकली नोटों के कारोबार में काफी मुनाफा है। लालच में आकर मैंने भी उमाशंकर बिन्द के कारोबार में शामिल हो गया इस बार भी इनके कहने पर 40 हजार रूपये सुभाष मण्डल, निवासी जयनपुर, जनपद मालदा, पश्चिम बंगाल के एकाउन्ट में डाल दिया तथा उमाशंकर द्वारा लाये गये नकली नोटों से अपने हिस्से का 80 हजार रूपये आज मुझे मिला था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना माण्डा, जनपद प्रयागराज में धारा–489बी/489सी भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0–मुम्बई के भिवण्डी शहर थाना–क्षेत्र में एक बैंक कर्मी को दिन–दहाड़े चाकू दिखाकर रुपये 11 लाख की लूट को अंजाम देने वाले 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 29–10–2022 को बेसीन कैथोलिक को–आपरेटिव बैंक, भिवंडी शाखा मुम्बई, के कर्मचारी को कैश ले जाते समय चाकू दिखाकर 11 लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 02 शातिर लुटेरों को आज दिनांक 07–11–2022 को एसटीएफ उ0प्र0 को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– अरशद मोहम्मद पुत्र इलियास मोहम्मद मंसूरी निवासी गेट नं0 2 मस्जिद के पीछे, अजमेर नगर, नारपोली पुलिस स्टेशन के पास, भिवंडी, ठाणे मूल पता ग्राम साईं बगदाद, मल्लावां, हरदोई।

2– अब्दुल सईद पुत्र अब्दुल वफा निवासी 274 हुद्दा मस्जिद, समद नगर, कनेरी, भिवंडी ठाणे, महाराष्ट्र मूल पता अवसान कुईंया, पो0 अजगरा, थाना पथरा, जिला सिद्धार्थनगर।

बरामदगीः–

1– बैंक लूट के रू0– 03 लाख।(रू0–500 के 600 नोट)

2– मोबाइल फोन–02 अदद।

3– आधार कार्ड– 02 अदद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

सीएनडब्ल्यू रोड रेलवे यार्ड आलमबाग चौराहे के नजदीक, थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ दिनांक 07–11–2022 समय करीब 07.45 बजे।

दिनांक 29—10—2022 को बेसीन कैथोलिक को—आपरेटिव बैंक, भिवंडी शाखा के कर्मचारी से कैश ले जाते समय बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा चाकू दिखाकर रुपये 11 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना भिवंडी शहर मुंबई महाराष्ट्र में मु0अ0सं0 443/22 धारा 392,34 आईपीसी पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 से अनुरोध किया गया। जिस पर श्री दीपक कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री हेमंत भूषण सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 तेज बहादुर सिंह, हे0का0 कृष्णकांत शुक्ल, का0 रामसिंह, सुनील कुमार, आलोक रंजन एस0टी0एफ0 लखनऊ एवं महाराष्ट्र पुलिस द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इस दौरान आज दिनांक 07—11—2022 को सूचना प्राप्त हुई कि मुम्बई से सम्बन्धित मुकदमे का एक अभियुक्त आलमबाग चौराहे के निकट सीएनडब्ल्यू रोड रेलवे यार्ड के पास किसी साथी का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा महाराष्ट्र पुलिस को साथ लेकर दोनों अभियुक्तों को आवश्यक बल का प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूछताछ पर अभियुक्त अरशद ने बताया कि मेरे पिताजी, सईद के बडे भाई के दोस्त हैं जिसके कारण मेरी सईद से दोस्ती हो गयी थी। जिसके बाद मैं अक्सर सईद से मिलता रहता था। एक दिन सईद ने मुझे सैफ से मिलाया और फिर सईद व सैफ ने बेसीन कैथोलिक को—आपरेटिव बैंक, भिवंडी शाखा के कर्मचारी से बैंक के पैसे लूटने के प्लान के बारे में बताया। जिस पर हम तीनों ने मिलकर पहले बैंक की रैकी की और जो आदमी बैंक का पैसा ले जाता था उस आदमी की पहचान सैफ ने करायी। इसके बाद दिनांक 29.10.22 को बेसीन कैथोलिक को—आपरेटिव बैंक, भिवंडी शाखा से वही आदमी अपने एक अन्य साथी के साथ मोटरसाइकिल से निकला था। जिसको मै व सईद चाकू दिखाकर रोक लिए और जान से मारने की धमकी देकर पैसे भरे बैग को लूट लिया। इसके बाद हम लोगों ने आगे जाकर अपनी टी—शर्ट बदल ली और मोटर साइकिल को एक सुरक्षित जगह खडी कर दिये। इसके बाद हम लोगों ने उस बैग से

रूपये निकाल कर गिनती किये तो कुल 11 लाख रूपये थे, जिसमें से मै और सईद चार–चार लाख रूपये और सैफ को 3 लाख रूपये लिये। मै अपने चार लाख रूपये में से लगभग 1 लाख रूपये अपने रूम के किराये, मुम्बई से लखनऊ के एयर टिकट व अन्य खर्चों में खर्च कर दिया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना भिवंडी शहर मुंबई महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0 443/22 धारा 392,34 आईपीसी में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा ट्रांजिट रिमाण्ड हेतु लखनऊ न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————